कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 35 / 2024

श्री किशन चन्द गुप्ता पुत्र श्री फूलचन्द गुप्ता सुभाष ज्ञान मन्दिर स्कूल के पास मोरी चार बाग, भरतपुर मो.नं. 9414268561

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश   दिनांक 08.08.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री किशन चन्द गुप्ता पुत्र श्री फूलचन्द गुप्ता सुभाष ज्ञान मन्दिर स्कूल के पास मोरी चार बाग भरतपुर की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 24 / 526 दिनांक 22.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी भरतपुर के पत्रांक कोष / आर.टी.आई. / 2024–25 / 843 दिनांक 6.8.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 8.5.2024 को कार्यालय में प्राप्त हुआ

2.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई / अपील / 35 / 2024
किशन चन्द गुप्ता बनाम लो.सू.अधि. कोषाधिकारी भरतपुर

जिसके जबाब में कार्यालय के पत्रांक कोष / आर.टी.आई. / 2024'25 / 8054 दिनांक 6.6.2024 जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र में अंकित पते पर पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु डाकघर से प्राप्तकर्ता के मकान छोडकर चले जाने के आक्षेप के साथ पत्र वापस कोषालय को प्राप्त हुआ है। पुनः प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित मोबाईल नं0 पर सम्पर्क कर प्रार्थी को सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराया गया साथ ही नियमानुसार बिन्दु सं0 1 पर वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराकर प्राप्ति हस्ताक्षर लिये गये। साथ ही बिन्दु सं0 2 पर वांछित सूचना कोषालय में संधारित नहीं होने से सूचना देय नहीं है बाबत् भी प्रार्थी को अवगत करवाया गया।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा चाही गई नकल / सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी भरतपुर को भी प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर